



# कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

पत्र संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०/11/2025-26/775

दिनांक: 29 सितम्बर, 2026

**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 335 पदों हेतु आयोजित अभिलेख सत्यापन के उपरान्त प्राप्त प्रत्योवदनों का निस्तारण सम्बन्धी सूचना**

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या— उ०चि०से०च०बो०/परी०/11/ 2025-26/786, दिनांक:— 14 नवम्बर, 2025 यथा संशोधित विज्ञापन संख्या— उ०चि०से०च०बो०/परी०/11/ 2025-26/306, दिनांक— 15 अप्रैल 2026 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 335 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था।

उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बैचवार ज्येष्ठता क्रम के आधार पर, श्रेणी—उपश्रेणीवार रिक्तियों की संख्या से लगभग दो गुना अभ्यर्थियों (पूर्ण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) को सम्मिलित करते हुए अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 18 जून, 2026 (वृहस्पतिवार/गुरुवार) से दिनांक 01 जुलाई 2026 (बुधवार) तक कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23 लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून में आमंत्रित किया गया था। अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन के समय जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया गया है या अर्हता धारित नहीं करते हैं या वांछित अभिलेख मूल रूप में उपलब्ध नहीं कराये हैं या दावित श्रेणी—उपश्रेणी का वैध प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों या अन्य अभ्युक्ति वाले अभ्यर्थियों की सूची तथा अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने पर अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या— उ०चि०से०च०बो०/परी०/11/2025-26/710, दिनांक 21 अगस्त 2026 के माध्यम से जारी किया गया।

बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी अभ्यर्थियों की सूची के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपनी अनर्हता/अभ्युक्ति के सापेक्ष कोई कथन लिखित रूप में प्रत्यावेदन बोर्ड कार्यालय में ई—मेल ukmssbexam@gmail.com पर, व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी माध्यम से निर्धारित प्रारूप के साथ स्वप्रमाणित साक्ष्य संलग्न कर दिनांक 22 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 सांय 05.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण तथा प्रत्यावेदन प्रस्तुत न करने पर अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची, अनुपस्थित होने पर अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रसारित की जा रही है।

**संलग्नक: प्रत्यावेदन निस्तारण सूची।**

ह०/—

(सुनील सिंह)

सचिव

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,  
देहरादून।

### अभ्युक्ति/अनर्ह/अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों के निस्तारण की सूची

| अभिलेख सत्यापन तिथि | अनुक्रमांक | अभ्युक्ति/अनर्हता का कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | निस्तारण आदेश (यदि प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो)                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-Jun-2026         | 6196202104 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र की वैधता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी संबंधी लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                            | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।                                                                                                       |
| 19-Jun-2026         | 6196202221 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु वांछित उपश्रेणी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित सम्बन्धी आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।                                                                                                                                                               | अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित सम्बन्धी आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा। |
| 19-Jun-2026         | 6196202262 | अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइव्स काउंसिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                      | अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।                                                                                                |
| 23-Jun-2026         | 6196202414 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र (दिनांकित 07 मई, 2026) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 06 मई 2026 के बाद का जारी है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 23-क में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।                                                                                                       |
| 25-Jun-2026         | 6196202579 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में पूर्व सैनिक उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।                                                                                                                                                                                     | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।                                                                                                       |

### अभ्युक्ति/अनर्ह/अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों के निस्तारण की सूची

| अभिलेख<br>सत्यापन तिथि | अनुक्रमांक | अभ्युक्ति/अनर्हता का कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | निस्तारण आदेश (यदि प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो)                                                                                                                                   |
|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25-Jun-2026            | 6196202640 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक 18 मार्च 2025 को जारी किये गये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है जो कि 31 मार्च 2025 तक वैध है। अभ्यर्थी का उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 04 मई, 2026 तक वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।                                               | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है। |
| 29-Jun-2026            | 6196202695 | अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 08 मई 2026) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 04 मई 2026 के उपरान्त का है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 23-क में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।                              | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है। |
| 29-Jun-2026            | 6196202702 | अभ्यर्थी का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 05 मई 2026) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 04 मई 2026 के उपरान्त का निर्गत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 23-क में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है। |

## अभ्युक्ति/अनर्ह/अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों के निस्तारण की सूची

| अभिलेख सत्यापन तिथि | अनुक्रमांक | अभ्युक्ति/अनर्हता का कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | निस्तारण आदेश (यदि प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो)                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29-Jun-2026         | 6196202707 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र (20 जुलाई 2021) की वैधता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 04 मई 2026 तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 23-क में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। | अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 04 मई 2026 तक वैध अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है। |
| 30-Jun-2026         | 6196202765 | <b>अनर्ह-</b> अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित प्रमाण पत्र नहीं है। अभ्यर्थी उत्तराखण्ड नर्सिंग एवं मिडवाइवज काउंसिल में पंजीकृत नहीं है। अतः <b>अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।</b>                                                                                     | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।                                                                           |
| 30-Jun-2026         | 6196202810 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (27 मई 2026) की वैधता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 04 मई 2026 को वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 23-क में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अतः <b>अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।</b>          | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।                                                                           |
| 1-Jul-2026          | 6196202853 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में पूर्व सैनिक उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः <b>अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।</b>                                                                                                                                                       | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।                                                                           |

## अभ्युक्ति/अनर्ह/अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों के निस्तारण की सूची

| अभिलेख सत्यापन तिथि | अनुक्रमांक | अभ्युक्ति/अनर्हता का कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | निस्तारण आदेश (यदि प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो)                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Jul-2026          | 6196202854 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में पूर्व सैनिक उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।                                                                         | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।                                                                                                       |
| 1-Jul-2026          | 6196202855 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।                                                                                                       |
| 1-Jul-2026          | 6196202857 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।                                                                                                       |
| 1-Jul-2026          | 6196202860 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। | अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित सम्बन्धी आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा। |

## अभ्युक्ति/अनर्ह/अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों के निस्तारण की सूची

| अभिलेख सत्यापन तिथि | अनुक्रमांक | अभ्युक्ति/अनर्हता का कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | निस्तारण आदेश (यदि प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो)                                                                                                                                                                         |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Jul-2026          | 6196202864 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।                                       |
| 1-Jul-2026          | 6196202866 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।                                       |
| 1-Jul-2026          | 6196202868 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में पूर्व सैनिक उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।                                                                         | अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में पूर्व सैनिक उपश्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा। |
| 1-Jul-2026          | 6196202868 | अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में पूर्व सैनिक उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।                                                                         | अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन हेतु निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है।                                       |

निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित दिवस पर अनुपस्थित होने पर अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है—

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6196202105 | 6196202107 | 6196202110 | 6196202111 | 6196202119 | 6196202121 | 6196202127 | 6196202211 | 6196202220 | 6196202237 | 6196202250 | 6196202254 |
| 6196202257 | 6196202259 | 6196202268 | 6196202273 | 6196202284 | 6196202293 | 6196202313 | 6196202340 | 6196202354 | 6196202401 | 6196202407 | 6196202478 |
| 6196202516 | 6196202519 | 6196202529 | 6196202534 | 6196202559 | 6196202565 | 6196202566 | 6196202590 | 6196202622 | 6196202639 | 6196202668 | 6196202725 |
| 6196202746 | 6196202753 | 6196202797 | 6196202799 | 6196202801 | 6196202824 | 6196202846 | 6196202847 | 6196202849 | 6196202850 | 6196202851 | 6196202852 |
| 6196202858 | 6196202861 | 6196202863 | 6196202867 | 6196202869 | 6196202871 | 6196202873 | 6196202875 | 6196202876 |            |            |            |